कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

संख्या– /दस–लाइसेंस–421/आबकारी नीति कियान्वयन/2019–20

प्रेषक,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

दिनांकःप्रयागराजः 04 फरवरी, 2019

विषयः–तकनीकी कारणों से वर्ष 2019–20 हेतु माह जनवरी 2019 में नवीनीकृत न हो सकीं मदिरा की फुटकर दुकानों के नवीनीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया वर्ष 2019–20 हेतु आबकारी दुकानों के व्यवस्थापन सम्बन्धी आबकारी आयुक्त के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या–42900–42975/दस–लाइसेंस–421/आबकारी नीति कियान्वयन/2019–20 दिनांक 11.01.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र में दी गयी समय–सारणी के अनुसार नवीनीकरण के पश्चात् अवशेष मदिरा की दुकानों का व्यवस्थापन ई–लॉटरी के तीन चरणों में कराया जाना है। इस संबंध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या 243ई–2/तेरह–2019–02/2018 दिनांकित 02.02.2019 एवं शासनादेश संख्या–279 ई–2/तेरह–2019–02/2018 टी0सी0–II दिनांकित 04.02.2019 द्वारा तकनीकी कारणों से वर्ष 2019–20 हेतु नवीनीकृत न हो सकी निम्नलिखित प्रकार की मदिरा की फुटकर दुकानों का नवीनीकरण प्रथम चरण की ई–लॉटरी से पूर्व कराये जाने का निर्देश दिया गया है–

(क) ऐसी दुकानें जिनके मूल अनुज्ञापी की मृत्यु के पश्चात् उनके विधिक उत्तराधिकारी का विवरण शॉप मास्टर में अंकित नहीं हो पाया है अथवा विधिक उत्तराधिकारी के पक्ष में दुकानों का नामांतरण प्रकियाधीन है।

(ख) ऐसी दुकानें जिन्हें जिला आबकारी अधिकारियों द्वारा नवीनीकरण हेतु योग्य श्रेणी में त्रुटिवश मार्क नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप ये दुकानें पोर्टल पर प्रदर्शित ही नहीं हो सकीं।

(ग) ऐसी दुकानें जिनके अनुज्ञापी/सह अनुज्ञापी शॉप मास्टर आधार नंबर त्रुटिपूर्ण अंकित होने के कारण स्वयं को पोर्टल पर पंजीकृत नहीं कर सके।

2– उपरोक्त प्रकार की अनवीकृत मदिरा की दुकानों के नवीनीकरण हेतु समय–सारणी निम्नवत् निर्धारित की जाती है–

नवीनीकरण हेतु समय–सारणी

कमांक	विवरण	दिनांक
1	समस्त देशी मदिरा/विदेशी मदिरा/बीयर की फुटकर दुकानों एवं माडल शाप्स की सूची, सम्बन्धित देयताओं एवं आवश्यक अर्हताओं के विवरण के साथ स्थानीय समाचार पत्रों में और जनपद की वेबसाइट पर विज्ञप्ति का प्रकाशन।	06–02–2019
2	नवीनीकरण हेतु ऑनलाइन आवेदन का प्रारम्भ	06–02–2019 पूर्वान्ह 10:00 बजे से
3	ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम तिथि व समय	06–02–2019 को समय 17:00 बजे तक

3– दिनांक 06.02.2019 को छपने वाली उक्त विज्ञप्ति में वर्ष 2019–20 हेतु देशी मदिरा का एम0जी0क्यू0 एवं विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर दुकानों व माडल शाप्स की लाइसेंस फीस का निर्धारण **अन्तिम** रूप से **माह जनवरी 2019 तक** के उपभोग के आधार पर विज्ञापित की जाय। मात्र उन्हीं अनवीकृत दुकानों को विज्ञापित किया जाय जिनके अनुज्ञापियों ने दिनांक 31.01.2019 तक उपभोग/उपभोग में सन्निहित प्रतिफल शुल्क के आधार पर नवीनीकरण हेतु अर्हता प्राप्त कर ली है।

4— उपरोक्तानुसार वर्णित अनवीकृत दुकानो का शॉप मास्टर डाटा दिनांक 05.02.2019 को अनलॉक किया जायेगा। संबंधित जिलाधिकारी द्वारा अपर जिलाधिकारी स्तर के नामित अधिकारी की अध्यक्षता में गठित टीम के समक्ष वीडियोग्राफी कराते हुए, जिला आबकारी अधिकारी द्वारा उपरोक्त दुकानों के शॉप मास्टर डाटा में आवश्यक संशोधन किये जायेगें अथवा दुकानों को नवीनीकरण हेतु मार्क किया जायेगा । आवश्यक संशोधनोपरान्त डाटा जिला आबकारी अधिकारी द्वारा लॉक कर दिया जायेगा। संशोधनोपरान्त नामित अपर जिलाधिकारी एवं जिला आबकारी अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से किये गये संशोधनों का विस्तृत विवरण मुख्यालय को प्रेषित किया जायेगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या—114/2018/4030 ई—2/तेरह—2018—02/2018 दिनांक 25—12—2018 का गहनता से परिशीलन करके समस्त प्राविधानों का पालन किया जाये। आशा है कि आपके कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में आबकारी दुकानों के व्यवस्थापन सम्बन्धी समस्त कार्यवाही पूर्ण निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के साथ निर्धारित समय सीमा में उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करते हुए सम्पन्न होगी व प्रदेश के आबकारी राजस्व में आशातीत वृद्धि हो सकेगी।

भवदीय,

(धीरज साहू)
आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश

संख्या— 45551—45681 /दस—लाइसेंस—421/आबकारी नीति कियान्वयन/2019—20/तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— प्रमुख सचिव, आबकारी विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2— समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3— अपर आबकारी आयुक्त (प्रशासन)/(ला0 एवं औ0 वि0), उत्तर प्रदेश।
4— संयुक्त आबकारी आयुक्त, टास्क फोर्स को इस निर्देश के साथ कि तत्काल एन0आई0सी0 से समन्वय स्थापित करते हुए उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु आवश्यक व्यवस्था कराना एवं उक्त सूचना को विभागीय वेबसाइट पर तत्काल प्रदर्शित कराना सुनिश्चित करें।
5— समस्त संयुक्त आबकारी आयुक्त, जोन्स, उत्तर प्रदेश।
6— समस्त अनुभाग अधिकारी, मुख्यालय।
7— समस्त उप आबकारी आयुक्त, प्रभार, उत्तर प्रदेश।
8— समस्त जिला आबकारी अधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ कि उक्त सूचना से अपने जनपद के मदिरा के संबंधित फुटकर अनुज्ञापियों को तत्काल अवगत कराते हुए नियमानुसार नवीनीकरण कराना सुनिश्चित करें।
9— गार्ड फाइल, लाइसेंस अनुभाग।

(धीरज साहू)
आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश